जनपद–बदायूँ–एक दृष्टि में(विजन 2047)

जनपद की भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना

जनपद बदायूँ रूहेलखण्ड के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच रामगंगा और गंगा के दोआव में बसा है। इसके उत्तर में रामपुर, बरेली, व सम्भल जनपद है। दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी जनपद की सीमा बनाती है और, एटा तथा फर्रूखाबाद जिलों से इसे अलग करती है। इसी तरह पूर्व में रामगंगा इसे शाहजहॉपुर जिले से पृथक करती है। जिले की पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई 63 कि0मी0 तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 60 कि0मी0 है। यह जिला समुद्र तल से 500 फुट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इस जनपद की प्रमुख नदी गंगा एवं रामगंगा है तथा सहायक नदियॉ महौवा, सोत, अरिल, तथा भैसोर है। जिले की वनस्पतियों में रेगिस्तानी पौधे, काटेदार झाड़ियॉ तथा बबूल, कॉस जैसे भूड़ और खादर में प्राकृतिक रूप में पनपते है।

भूमि संरचना

1.1**मिट्टी एवं खनिज सम्पदा** –

यह जनपद गंगा और रामगंगा नदियों के दोआव में बसा है। जनपद की संरचना में इन नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जनपद में मिट्टी एक जैसी नहीं है आर्थिक समानता तथा भौगोलिक दृष्टि से जनपद को दो भागों में बॉटा गया है।

1–उप सम्भाग–

(पश्चिमी निचला भाग) इस उप सम्भाग में जनपद की सहसवान, दहगवां, उझानी, कादरचौक, म्याऊं, उसावां, दातागंज तथा समरेर विकास खण्ड का क्षेत्र आता है। यह सभी क्षेत्र गंगा तथा रामगंगा के खादर में पड़ते है।

2–मध्य समतल भाग–

जनपद का शेष भाग मध्य समतल में आता है इस क्षेत्र की भूमि दोमट व अधिक उपजाऊ है तथा इस उप सम्भाग में इस्लामनगर, सलारपुर, जगत, अम्बियापुर, आसफपुर, बिसौली व वजीरगंज विकास खण्ड का क्षेत्र आता है।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

जनपद बदायूँ का क्षेत्रफल 4234.21 वर्ग कि0मी0 है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 3127621 है, जबकि जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2630710 थी।

जनपद की वर्ष 2001 तथा 2011 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है–

	2001	**2011**
जनपद की जनसंख्या	2630710	3127621
मण्डल की जनसंख्या	10442337	12614494
प्रदेश की जनसंख्या	166197921	199812341

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की तुलनात्मक स्थिति 2001 तथा 2011 के अनुसार निम्नवत् है।

	2001		**2011**	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में	2114883	80.39	2534367	81.04
नगरीय क्षेत्र में	515827	19.61	593254	18.96

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत बड़ा है तथा नगरीय क्षेत्र में कम हुआ है।

2.1 जनसंख्या घनत्व–

जनपद की जनसंख्या का घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 739 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसख्ंख्या घनत्व 621 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था, इस प्रकार वर्ष

2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में 118 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है।

2.2 ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या का लगभग 81.04 प्रतिशत् जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मात्र 18.96 प्रतिशत् है।

2.3 लिंग अनुपात –

विभिन्न जनगणना अवधियों में जनपद में स्त्री पुरूष के लिंगानुपात का विवरण निम्नव्त है–

जनगणना वर्ष	लिंग अनुपात
1981	808
1991	810
2001	841
2011	872

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रीयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

2.4 अनु0जाति की जनसंख्या–

जनपद में अनु0 जाति की कुल जनसंख्या 553497 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 492059 एवं नगरीय क्षेत्रों में 61438 अनु0 जाति की जनसंख्या है। तथा अनु0 जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत् 17.70 है।

2.5 साक्षरता– वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है–

मद	वर्ष 2001		वर्ष 2011	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत

कुल साक्षर	821571	39.60	1333926	51.99
पुरूष	570055	50.27	844028	61.37
स्त्री	251516	26.73	489898	41.15

इस प्रकार वर्ष 2011 में वर्ष 2001 की तुलना में जनपद की साक्षरता दर में 12.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.6 आवासीय मकान – जनपद में वर्ष 2001 में 4.71 लाख मकान जनगणना के अनुसार पाये गये इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 3.89 लाख तथा नगरीय क्षेत्र में 0.82 लाख आवासीय मकान पाये गये तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 444722 तथा नगरीय क्षेत्र में कुल 96960 आवासीय मकान हैं। इस प्रकार जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में जनगणना वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय मकानों की संख्या में 12.52 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 15.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.7 कर्मकर– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कर्मकारों की संख्या 924132 है जो कुल जनसंख्या का मात्र 29.53 प्रतिशत है। इसमें 190033 सीमान्त कर्मकर हैं अर्थात कुल मुख्य कर्मकारों की संख्या 734099 है। कुल मुख्य कर्मकारों में 418433 (56.99 प्रतिशत) कृषक, 143328 (19.52 प्रतिशत) कृषि श्रमिक,18368 (2.50 प्रतिशत) पारिवारिक कर्मकर, 153970 (20.97 प्रतिशत) अन्य कार्यो में संलग्न है।

1.2 प्रषासनिक संरचना–

जिला मुख्यालय बदायूँ नगर में स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4234.21 वर्ग कि0मी0 है जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.76 प्रतिशत् क्षेत्र जनपद के अन्तर्गत आता है ।

जनपद में बिसौली, सहसवान, बदायूँ, दातागंज एवं बिल्सी नाम से 5 राजस्व तहसीलें है, जिनके अन्तर्गत कुल 1478 ग्राम हैं। विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कुल 15 विकास खण्ड है तथा त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत 136 न्याय पंचायते एवं 1037 ग्राम पंचायतें है।

जनपद में कुल 20 नगरीय क्षेत्र है, जिसमें 7 नगरपालिका परिषद तथा 13 नगर पंचायतें तथा जनपद में पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत 22 पुलिस स्टेशन कार्यरत है, जो जनपद में शान्ति व्यवस्था रखने के लिये कटिबद्ध हैं।

1.3 राजनैतिक संरचना–

राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में दो लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें एक आंशिक रूप में है। जनपद का अधिकांश क्षेत्र बदायूँ लोकसभा सीट के अन्तर्गत आता है। नये परिसीमन के अनुसार विधान सभा क्षेत्र दातागंज व शेखूपुर ऑवला लोक सभा सीट के अन्तर्गत है। जनपद में दातागंज, शेखूपुर, बदायूँ, बिसौली, सहसवान व बिल्सी विधानसभा क्षेत्र है।

1.4 जलवायु एवं वर्षा–

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है। वर्ष 2020 में सामान्य वर्षा 564 मि0मी0 एवं वास्तविक वर्षा 436 मि0मी0 हुई। जनपद में लगभग 72 प्रतिशत् वर्षा मानसून से होती है जो कृषि के लिये लाभप्रद है।

वन एवं वन सम्पदा–

वर्ष 2019–2020 भूमि उपयोगिता के ऑकड़ों के अनुसार जनपद में वन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 6902 हेक्टेयर है जो वनों के अन्तर्गत कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 1.61 प्रतिशत् है ।

वन सम्पदा के नाम पर कहीं–कहीं पर शीशम, बबूल, नीम, आम तथा कॉटेदार झाड़ियॉ आदि पाई जाती है। आम, शीशम, नीम आदि की लकड़ी इमारती काम में लायी जाती है।

नदियॉ एवं झीलें–

जनपद की प्रमुख नदियॉ गंगा तथा रामगंगा है। गंगा नदी जनपद की सबसे बड़ी नदी है जो जनपद के सहसवान, दहगवां, उझानी, कादरचौक, उसावॉ विकास खण्डों को होती हुई कलान जिला शाहजहॉपुर से फर्रूखाबाद की ओर बहती है। इसी प्रकार रामगंगा जनपद बरेली की सीमाओं से होती हुई इस जनपद के समरेर, दातागंज, म्याऊं विकास खण्डों से जनपद शाहजहॉपुर की सीमा में प्रवेश करती है तथा इसकी सहायक नदियॉ महावा, सोत, अरिल तथा भैसोर है, जिससे सिंचाई कार्य किया जाता है जो जनपद के कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है ।

बदायूं@2047

जनपद के विकास में बाधक समस्यायें एवं उनके निदान हेतु सुझाव पिछड़ेपन का प्रमुख कारण एवं उनके निराकरण के उपाय तथा सुझाव (बिन्दुवार)

हमारे देश में सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की संस्तुति पर अनेकों योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए अब तक आठ पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी हैं। इस दृष्टि से यदि प्रादेशिक स्तर पर विकास का अवलोकन किया जाये तो निष्कर्षतः यह तथ्य स्वतः स्पष्ट होगा कि जब तक जनपद का विकास नहीं होगा तब तक पूर्णतः विकास संभव नहीं है और जनपद स्तर के विकास के लिए तहसील, विकास क्षेत्र तथा सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत का विकास होना अत्यावश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1982–83 में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली की शुरूआत की थी। इस सन्दर्भ में प्रशासनिक स्तर पर तथा विकास विभाग के प्रयासों से जनपद में विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन भी हुआ है तथापि विकास के जिस स्तर को प्राप्त किया जाना चाहिए था वह दसवीं योजना के प्रारम्भिक चरण एवं नौ पंचवर्षीय योजनाओं के उपरान्त भी नहीं हुआ है।

अतएव आवश्यक है कि जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों के विकास में आने वाली निम्न समस्याओं के निदान के उपरान्त ही विकास प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की जाये।

- जनपद में वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 61.40 एवं महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 41.16 है । जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत आच्छादित करते हुए शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- जनपद में कुल कर्मकार 924132 के सापेक्ष्य 418433 व्यक्ति कृषि(प्रतिशत 45.27) में कार्यरत है,जनपद के विकास हेतु कृषि विविधीकरण एवं औद्योगिकीकरण का बढाया जायेगा ।
- जनपद मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 426768 हे0 के सापेक्ष्य 6902 हे0 हैजिसका प्रतिवेदित क्षेत्रफल के सापेक्ष्य प्रतिशत मात्र 1.61 है जो मानक 33 प्रतिशत के सापेक्ष्य काफी कम है,उक्त वानिकी हेतु मियावाकी वानिकी पद्ति का प्रयोग जनपद में किया जायेगा ।
- जनपद में कृषि विविधीकरण के बढावा दिये जाने हेतु जनपद में जैविक कृषि विविधीकरण परियोजना यू0पी0डास्प के माध्यम से संचालित की जा रही है । वर्तमान में विकास खण्ड–उसावां,कादरचौक,उझानी,दहगवां एवं सहसवान में संचालित की जा रही है । जनपद में कृषि विविधीकरण योजना के अच्छे परिणाम आये है । उक्त उत्पादों के जनपद में विपणन की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

- जनपद में जल स्तर में निरन्तर गिरावट आयी है जिसके कारण जनपद के विकास खण्ड(अम्वियापुर,आसफपुर,इस्लामनगर एवं बिसौली) डार्क जोन में चिन्हित किये गये है । जनपद में उक्त सम्बन्ध में मनरेगा के अर्न्तगत बृहद स्तर पर तालाब खोदे जा रहे है । जनपद में बदायूँ सिचाई परियोजना निर्माणाधीन है एवं जल संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रयास किये जा रहे है ।
- जनपद की ग्राम पंचायतों में कार्बन उर्त्सजन के स्तर को न्यूनतम किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खाद के गड्डे एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । गॉवों में जैविक एवं अन्य कचरों के निस्तारण हेतु प्रयास किये जा रहे है ।खाद के गड्
- कृषि उत्पादन की दृष्टि से जनपद का प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है। जनपद में मुख्यतः गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा गन्नें की फसलें की जाती है जो स्थानीय आवश्यकता से अधिक है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि उत्पादन बाहुल्यता किसानों की दरिद्रता को दूर नहीं कर पाता क्योंकि अधिक उत्पादन उपज के मूल्य को कम कर देता है। यही कारण है कि कृषि का विविधीकरण बहुत जरूरी है ताकि विभिन्न खाद्य फसलों के साथ–साथ नकदी फसलों का उत्पादन कर कृषक अपनी आये को बढ़ा सके। इस दिशा में गोष्ठीय/बैठकों आदि के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जाये। ऐसी पहल कृषि विभाग द्वारा की गयी है। जिसका परिणाम गन्ने के क्षेत्रफल में 15–15 प्रतिशत कमी के रूप में देखा गया है। इसके स्थान पर उद्यान विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप शाक–सब्जी, पुष्प तथा औसत मूलक पौधों के उत्पादन के रूप में हो रही है। जनपद बदायूँ आलू एवं मैंथा के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी के रूप में उभर कर आया है। यह दोनों ही फसलें पूर्णतः नकदी है।
- जनपद में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता प्रचुर है, फिर भी व्यवस्थित साधनों के अभाव में ग्रामीण स्तर पर कृषियंत्र मरम्मत, कृषि फसलों की सम्यक जानकारी आदि सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत यदि उक्त सुविधायें ग्रामीण जनता को उपलब्ध करायी जायें तो निश्चित रूप से कृषि उत्पादों एवं कृषि जन्य प्रदार्थो के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर भी प्रति व्यक्ति आये में वृद्धि सम्भव होगी।
- जनपद के 1000 से अधिक आबादी वाले अधिकांश ग्राम यद्यपि पक्के सड़क मार्गो से जुड़ चुके है, लेकिन अभी कुछ ग्रामों में सर्व ऋतु योग्य मार्गों की स्थिति अच्छी न होने के कारण ग्रामों का विकास खण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय आदि से सम्पर्क नहीं है यह समस्या यातायात को अत्यधिक प्रभावित करती है। अतः राज्य सरकार की विभिन्न

निर्माण ऐंजसिंयों एवं निर्माणदायी विभागों में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्गो का पुनर्गठन किया जा रहा है । जनपद में फोर लेन का निर्माण कराया गया है ताकि ग्रामवासी अपनी उत्पादित वस्तुओं को जिला मुख्यालय तक ला सके एवं उन्हें उचित दामों में विक्रय कर लाभ अर्जित कर सके। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

- ❖ विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों के संचालन में विद्युत की आवश्यकता होती है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम विद्युतीकृत है उनमें विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं रहती है जिसका कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे सिंचाई हेतु ऊर्जीकृत नलकूप का प्रयोग किया जाता है किन्तु विद्युत आपूर्ति पर्याप्त एवं नियमित न होने से कृषकों को डीजल आदि पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पड़ता है, जो कृषि उत्पादों की लागत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः आवश्यकतानुसार विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु जनपद में सोलर संयन्त्रों को बडे स्तर पर लगाया जाने का लक्ष्य है , जिससे ग्रामीण कृषकों को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।
- ❖ विगत दशकों में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। यह वृद्धि केवल जनपद के लिए ही नहीं अपितु किसी देश अथवा प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु शासन द्वारा समय–समय पर संचालित किये जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति जनता को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने हेतु शासन के सम्बन्धित विभाग यथा चिकित्सा आदि को नोडल विभाग बनाकर स्थिति का समय समय पर समीक्षात्मक मूल्यांकन कर लक्ष्यबद्ध किया जाना चाहिए। ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाया जा सके।
- ❖ जनपद में पर्याप्त औद्योगिक विकास न होने के कारण यहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा समय–समय पर संचालित विभिन्न योजनओं के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त संख्या में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जाये। जिससे उसी अनुपात में लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

उपर्युक्त समस्याओं के निदान हेतु जिला योजना तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय राशि उपलब्ध करायी जाती रही है। ताकि समस्या का निदान कर विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद के विकास की समीक्षा करते समय क्षेत्रीय समस्याओं तथा अन्तर्विकासखण्डीय विषमता को ध्यान में रखकर ऐसी योजनायें तैयार की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों

तथा हथकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाये। औद्योगिक विकास के लिए लघु औद्योगिक इकाईयों का विस्तार एवं विकास किया जाना आवश्यक है तथा बन्द इकाईयों को पुनर्जीवित किया जाये।

वर्तमान में चल रही विकास योजनाओं का प्रभाग द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित कर तथा ग्रामीणों में इसके लिए पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न कर बेकारी तथा गरीबी की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस दिशा में सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संवेदनशीलता एवं जागरूकता की आवश्यकता है।

अन्ततः निष्कर्ष रूप से उल्लेखनीय होगा कि समग्र विकास के लिए अन्तर्विकासखण्डीय समस्याओं एवं क्षेत्रीय विषमताओं का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाये तथा तदनुरूप एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्य निर्धारित कर योजना बनाकर विकास कार्य को क्रियान्वित किया जाये, तभी जनपद जो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अन्य सुविधाओं तथा विकास की दृष्टि से मण्डल एवं प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर सकेगा।